न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 132/16 (GCMS:-2016/00112) **दायर दिनांक 13—06—2016**

मदनलाल पुत्र श्री रावताराम जाति ब्राहम्ण साकिन पीपासर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादी

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

———— प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :—

1— राजवीर भादू अभिभाषक वादी ।

2— पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

—:— निर्णय —:— **दिनांक :—** 25/09/2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 100 में 40—00बीघा बारानी वादी को अस्थाई आंवटन संम्वत 2036 सन् 1977—78 में आंवटन किया गया और उक्त आंवटन का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया । वादी को आवंटन रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 में 40—00बीघा अस्थाई आंवटन का राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के पश्चात एवं तत्कालिन हल्का पटवारी द्वारा कब्जा काश्त सम्भालने से लेकर वादी का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है तथा जैरवाद आंवटित रकबा का समय पर रकम राजस्व जमा करवाते रहे है । वादी को आंवटन रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 में 40—00बीघा अस्थाई आंवटन पर कब्जा काश्त बदस्तुर चला तथा रोही पीपासर से पैमुद चक गोदारान हो गया जिसमें खसरा नं0 100/10 में 40—00बीधा पर आंवटन से लेकर आज तक बदस्तुर चला आ रहा है । तथा वादी द्वारा आंवटन रकबा समय —2 पर आर्थिक खर्चा कर ट्रेक्टर करावे की सहायता से उच्चे उच्चे टिब्बो को समतल किया गया उसमें खाद उर्वरक आदि से रकबें को कृषि के उपयुक्त करते आ रहे है । इतने वर्षो के कठोर परिश्रम तथा आर्थिक खर्च की मदद सो काश्त के लिए उपयुक्त किया गया है । एवं उक्त जैरवाद रकबा वादी के परिवार के भरण पोषण का एक मात्र सहारा है चक गोदारान के खसरा परिवर्तन तहसील कर्मचारियो द्वारा करते वक्त वादी का अस्थाई आंवटन खसरा नं0 100/10 में 40—00बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड में आरजी राज दर्ज कर दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से फेरबदल किया गया जबकि वादी को आंवटित एवं कब्जा काश्त खसरा नं0

———2 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:43:39 IST
Reason: SelfAttested

100/10 का परिवर्तन करते वक्त खसरा नं0 100/11 में 0.128 हे0, 100/12 में 0.935 हे0, तथा खसरा नं0 100/15 में 9.057 हे0 कुल तादादी 10.120 हे0 बारानी वादी का अंकन न कर कानूनी भूल की गई है । वादी को आंवटन रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 100/10 में 40-00 बीघा आवंटन से लेकर कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है तथा रोही पीपासर से चक गोदारान पैमुद किया गया तथा चक गोदारान के खसरा नं0 100/10 में 40-00बीघा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । तथा रकम समय पर राजस्व कोष जमा करवाते आ रहा है वादी ने संवत 2066 तक रकम राजस्व जमा करवा चुके है वादी को आंवटन रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 जो रोही पीपासर से चक गोदारान में पैमुद हो गया तथा चक गोदारान में ख0 नं0 100/10 में 40-00बीघा का खसरा परिवर्तन यानि संवत 2038 की पैमाईश के आधार पर ख0नं0 100/11 में 0.128 हे0 , खसरा नं0 100/12 में 0.935 हे0, एवं खसरा नं0 100/15 में 9.057 हे0 कुल तादादी 10.120 हे0 बारानी कब्जा काश्त होने के पश्चात भी बिना किसी सुचना एवं बिना किसी नोटिस तथा वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं किसी सक्षम अधिकारी के आदेश बिना आरजी राज दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया जो विधि के विरूद्ध है तथा प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण उक्त जैरवाद रकबा की घोषणा करवाने के कानूनन हकदार है । वादी को आवटन आरजी काश्त रोही पीपासर जो रोही चक गोदारान में पैमुद हो गया इसके अलावा हिन्दौर , चक अमरपुरा की पत्थर गढी की कार्यवाही सन् 1985 यानि संवत 2038 में चल रही थी जिसमें अन्तर होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा बार बार उक्त कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग एवं सिचांई विभाग के साथ पत्राचार किया गया और पत्थर गढी में आये अन्तर के कारण पुख्ता आवंटन 2007 तक भी पत्थर गढी की दुरूस्ती नही हो पाई तथा इसके साथ शासन सचिवालय द्वारा उक्त पत्थर गढी की दुरूस्ती न होने तक किसी काश्तकार को रकबा से बेदखल न करने के आदेश दिये गये इसके पश्चात भी उक्त जैरवाद गांवो के पत्थर गढी की दुरूस्ती किये बगैर ही संवत 2038 की पैमाईश के अनुसार 24 वर्षो के बाद राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर मनमाने एवं असवैधनिक तरीके से काश्तकारो को बिना सुचना बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व रिकार्ड से नाम हटा दिये गये जो कानून की परिधि से परे है तथा प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है जबकि वादी को आंवटन से लेकर आज तक लगभग 40 वर्षो से विधिवत तरीके से काश्त करते आ रहा है । जिसका राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी जरिये पेरोकार राज उपस्थित हुये। पेरोकार राज ने वाद-पत्र का जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई। वादी द्वारा द्वारा वाद-पत्र के साथ धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना-पत्र

--- 3 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:43:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी पेरोकार राज द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही किये जाने के कारण धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। दावे एवं जबाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम कि गई :–

1–आया कि रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 100 में 40–00बीघा बारानी वादी को अस्थाई आंवटन हुई है ? ——वादी

2–आया कि वादी को अस्थाई आंवटन रोही पीपासर के खसरा नं0 100 में 40–00बीघा बारानी पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है ? ——वादी

3–आया कि वादी को आंवटित रकबा रोही पीपासर से पैमुद चक गोदारान होने के पश्चात कब्जा कास्त आज तक लागतार चला आ रहा है ? ——वादी

4–आया कि वादी को आंवटित रकबा को बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने का क्षैत्राधिकार नही है ? ——वादी

5–आया कि रोही पीपासर से चक गोदारान पैमुद करने पर वादी के रकबा राजस्व रिकाड्र दर्ज न कर आराजी राज खसरा नं0 100/11 में 0.128 हे0 , खसरा नं0 100/12 में 0.935 हे0 व खसरा नं0 100/15 में 9.857 हे0 किया गया ? —— वादी

6–अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये । जिसकी प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई । प्रतिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य नही करवाये गये ।

इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के नाम रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 100/10 में 40–00बीघा बारानी वादी को अस्थाई आंवटन संम्वत 2036 सन् 1977–78 में आंवटन किया गया और उक्त आंवटन का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया । वादी को आवंटन रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 में 40–00बीघा अस्थाई आंवटन का राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के पश्चात एवं तत्कालिन हल्का पटवारी द्वारा कब्जा काश्त सम्भलाने से लेकर वादी का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है तथा जैरवाद आंवटित रकबा का समय पर रकम राजस्व जमा करवाते रहे है । वादी को आंवटन रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 में 40–00बीघा अस्थाई आंवटन पर कब्जा काश्त बदस्तुर चला तथा रोही पीपासर से पैमुद चक गोदारान हो गया जिसमें खसरा नं0 100/10 में 40–00बीघा पर आंवटन से लेकर आज तक बदस्तुर चला आ रहा है । चक गोदारान के खसरा परिवर्तन तहसील कर्मचारियो द्वारा करते वक्त वादी का अस्थाई आंवटन खसरा नं0 100/10 में 40–00बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड में आरजी राज दर्ज कर दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से

——4 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:43:39 IST
Reason: SelfAttested

फेरबदल किया गया जबकि वादी को आंवटित एवं कब्जा काश्त खसरा नं0 100/10 का परिवर्तन करते वक्त खसरा नं0 100/11 में 0.128 हे0, 100/12 में 0.935 हे0, तथा खसरा नं0 100/15 में 9.057 हे0 कुल तादादी 10.120 हे0 बारानी वादी का अंकन न कर कानूनी भूल की गई है तथा रकम समय पर राजस्व कोष जमा करवाते आ रहा है वादी ने संवत 2066 तक रकम राजस्व जमा करवा चुके है वादी को आंवटन रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 जो रोही पीपासर से चक गोदारान में पैमुद हो गया तथा चक गोदारान में ख0 नं0 100/10 में 40–00बीघा का खसरा परिवर्तन यानि संवत 2038 की पैमाईश के आधार पर ख0नं0 100/11 में 0.128 हे0 , खसरा नं0 100/12 में 0.935 हे0, एवं खसरा नं0 100/15 में 9.057 हे0 कुल तादादी 10.120 हे0 बारानी कब्जा काश्त होने के पश्चात भी बिना किसी सुचना एवं बिना किसी नोटिस तथा वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं किसी सक्षम अधिकारी के आदेश बिना आरजी राज दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया जो विधि के विरूद्ध है तथा प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण उक्त जैरवाद रकबा की घोषणा करवाने के कानूनन हकदार है । इसके अलावा हिन्दौर , चक अमरपुरा की पत्थर गढी की कार्यवाही संवत 2038 की पैमाईश के अनुसार 24 वर्षो के बाद राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर मनमाने एवं असवैधनिक तरीके से काश्तकारो को बिना सुचना बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व रिकार्ड से नाम हटा दिये गये जो कानून की परिधि से परे है तथा प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है जबकि वादी को आंवटन से लेकर आज तक लगभग 40 वर्षो से विधिवत तरीके से काश्त करते आ रहा है । राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो का हवाला दिया गया एवं वादी ने न्यायायिक दृष्टान्तो को बताते हुये स्पष्ट किया जिसके मुताबिक सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने का अधिकारी नही था । रूलिंग 2003 RBJ 290 - 2007 RRT 27 – 1993 RRT 45 - 2003 RBJ 118- 2001 RRD 60 प्रस्तुत की गई ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । दस्तावैजो व साक्ष्यो पर गौर किया गया विस्तुत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :–

<u>तनकी नं0 1–</u> आया कि रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 100 में 40–00बीघा बारानी वादी को अस्थाई आंवटन हुई है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा वाद–पत्र के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए जमाबन्दी सम्वत 2042 प्रस्तुत वाद–पत्र की गई । जिससे यह सिद्ध होता है कि वादी को रोही पीपासर के खसरा नं0 100 में 40–00बीघा भूमि अस्थाई आंवटन किया गया । जिस पर वादी का लगातार कब्जा कास्त चला आ रहा है । तनकी नं0 1 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

<u>तनकी नं0 2–</u> आया कि वादी को अस्थाई आंवटन रोही पीपासर के खसरा नं0 100 में 40–00बीघा बारानी पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है ?

––––5 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:43:39 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी ने वाद–पत्र के साथ खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 ता 2044, 2047 ता 2049, 2055 ता 2057 सलग्न की हुई है जिससे यह सिद्ध होता है कि वादी को अस्थाई आंवटन रकबा लगातार राजस्व रिकार्ड चल रहा था । तथा ढाल बाछ की प्रतियों से वादी द्वारा रकम जमा करवाना सिद्ध होता है । तनकी नं0 2 बहक वादी निर्णित कि जाती है ।

तनकी नं0 3– आया कि वादी को आंवटित रकबा रोही पीपासर से पैमुद चक गोदारान होने के पश्चात कब्जा कास्त आज तक लागतार चला आ रहा है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी के नाम रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 में 40–00बीघा अस्थाई आंवटन भूमि थी जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा रोही पीपासर से चक गोदारान पैमूद करते वक्त उक्त जैरवाद खसरा चक गोदारान में पैमूद किया गया । नकल ढाल बाछ चक गोदारान सन् 2004 से 2010 में खसरा नं0 100/10 का अंकन से सिद्ध होता है कि रोही पीपासर से चक गोदारान पैमूद किया गया है । तनकी नं0 3 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 4– आया कि वादी को आंवटित रकबा को बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने का क्षैत्राधिकार नही है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी द्वारा रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 में 40–00बीघा अस्थाई आंवटन होने के दस्तावैज प्रस्तुत किये गये तथा इसके पश्चात रोही पीपासर से चक गोदारान पैमूद के भी दस्तावैज वाद–पत्र में प्रस्तुत है । जिसके मुताबिक वादी के नाम अस्थाई आंवटन को बंदोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में फेरबदल किया गया । जो वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टात से प्रतिपादित है कि 2003 RBJ 290 – Setllement department connot change the old entery in revenue record from khud kasht to siwaicjak and gocher land without the order of the competerd court .

2007 RRT 27 –
1993 RRT 45 } सेटलमेन्ट के दौरान भु–प्रबन्ध अधिकारी राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई फेर बदल नही कर सकता ।

इससे यह सिद्ध होता है कि सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने का कोई भी क्षैत्राधिकार नही है । तकनी नं0 4 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 5– आया कि रोही पीपासर से चक गोदारान पैमुद करने पर वादी के रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज न कर आराजी राज खसरा नं0 100/11 में 0.128 हे0 , खसरा नं0 100/12 में 0.935 हे0 व खसरा नं0 100/15 में 9.857 हे0 किया गया ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी के नाम रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 में 40–00बीघा अस्थाई आंवटन किया गया । जो पीपासर से चक

--- 6 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:43:39 IST
Reason: SelfAttested

गोदारान पैमूद करते वक्त मूल खसरा के नये मीन बनाये गये जिसमें वादी के नाम अंकन नही करते हुये आरजी राज दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त खसरा नं0 100/11 में 0.128 हे0, खसरा नं0 100/12 में 0.935 हे0 व खसरा नं0 100/15 में 9.857 हे0 मूलतः खसरा नं0 100 से पैमूद हुये है। जिन पर वादी का कब्जा कास्त चला आ रहा है। तनकी नं0 5 बहक वादी निर्णित कि जाती है।

इस प्रकार तनकीयात बहक वादी निर्णित की जाती है। जिसके मुताबिक वादी को रोही पीपासर के खसरा नं0 100/10 में 40—00बीघा भूमि अस्थाई आंवटन होना एवं रोही पीपासर से चक गोदारान पैमूद किया जाना सिद्ध होता है एवं वादी अभिभाषक द्वारा बताये गये परिपत्र माननीय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा दिनांक 28—10—1978 को जारी परिपत्र एवं राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा दिनांक 29—11—1981 को जारी परिपत्र के अनुसार टी सी आंवटन को कब्जा दिया गया और मिलान न होने पर बेदखल न कर संशोधन कर दिया जावे। तथा सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने का क्षैत्राधिकार नही है। इसलिए उक्त वाद—पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही चक गोदारान तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 100/11 में 0.128 हे0, खसरा नं0 100/12 में 0.935 हे0 व खसरा नं0 100/15 में 9.857 हे0 बारानी अस्थाई आंवटन कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी के नाम खसरा गिरदावरी में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना —2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/09/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ)

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:43:39 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

अनवान :

मदनलाल पुत्र श्री रावताराम जाति ब्राहम्ण साकिन पीपासर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

----- वादी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 132 वर्ष 2016 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी राजवीर भादू एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

रोही चक गोदारान तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 100/11 में 0.128 हे0 , खसरा नं0 100/12 में 0.935 हे0 व खसरा नं0 100/15 में 9.857 हे0 बारानी अस्थाई आंवटन कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी के नाम खसरा गिरदावरी में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोज ....×..................मुबलिग ......×..........बाबत ....×............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×...............फसदो की पालना.........×...........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25/09/2020 को जारी की गई ।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:43:39 IST
Reason: SelfAttested